

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य अंग्रेजी के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	दिग्विजय सिंह राजमावि तहनाल शाहपुरा, भीलवाड़ा	अंग्रेजी	27.04.85	शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:- एफ1(23-03) RPSC/Appt /HRD/ 2017/ 223 दिनांक: 15 फरवरी 2019

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत कराये। जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उनका वर्तमान पद पर लिये नहीं रहेगा।



(नथमल डिंडेल)

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शैविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/अनापत्ति/कार्यमुक्त/2019

दिनांक: 22/02/2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), संबंधित संभाग।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्यालय भीलवाड़ा।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक, अंग्रेजी (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है-

क्र. सं.	नामकार्मिक मय पदस्थापन	विदेश यात्रा का कारण मय अवधि	विदेश का नाम जहाँ यात्रा करनी है
1	श्रीमती अनीता अरोड़ा व्या. अंग्रेजी राबाउमावि अलवर	पुत्री से मिलने हेतु (अवधि दिनांक 25.05.2019 से 09.06.2019 तक) कुल 16 दिवस	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विदेशयात्रा-एनओसी/2019 दिनांक-22.02.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. स्ट्रिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अलवर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राबाउमावि अलवर।
5. संबंधित कार्मिक श्रीमती अनीता अरोड़ा व्या. अंग्रेजी, राबाउमावि अलवर।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अनापत्ति/कार्यमुक्त/2019

दिनांक: 22.02.19

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (गणित) परीक्षा - 2018 में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	श्रीमती सरोज कुमारी मीना, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलजारबाग (टोंक)	गणित	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1(23-22)/RPSC/Appt/HRD/2017/226 दिनांक: 15.02.19
02.	श्री सुनील कुमार मीणा, राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सायला (जालौर)	भौतिक	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1(23-25) RPSC/Appt/HRD/2017/239 दिनांक: 20.02.19

नियमानुसार जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उनका विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अनापत्ति/कार्यमुक्त/2019

दिनांक: 22.02.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत ।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक ।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर